न्यायालय

श्रमायुक्त, बिहार–सह–अपीलीय प्राधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत

प्रथम अपील वाद संख्या–09 / 2018

कृष्ण कुमार दिवाकर

बनाम

अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी (श्रम पक्ष)

आदेश की तिथि–29.05.2018
01/06/2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 (i) के अन्तर्गत दिनांक–03.04.2018 को राजीव रंजन द्वारा अधिनियम की धारा–7 की उप धारा–1 के अन्तर्गत दिनांक–06.02.2018 को प्रपत्र– **'क'** में मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होने के विरुद्ध किया गया है, जिसे वाद सं0–09 / 2018 के रूप में पंजीकृत किया गया। दिनांक–29.05.2018 को अपीलकर्त्ता की उपस्थिति में सुनवाई के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन के क्रम में यह पाया गया कि आवेदक द्वारा प्रपत्र **'क'** के माध्यम से मांगी गई सूचना अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी (श्रम पक्ष) के पत्रांक–1795 दिनांक–05.04.2018 द्वारा पूर्व में ही उपलब्ध कराई गई सूचना पर्याप्त है।

अतः वाद को इस आशय के साथ समाप्त किया जाता है।

ह0/01/06/18

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांकः–1 / सू0 अ0–12 / 2018 श्र0सं0....3685 **पटना, दिनांक–** 01-6-18

स्पीड पोस्ट प्रतिलिपिः– श्री कृष्ण कुमार दिवाकर, समाज आयोजक, सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/01/06/18

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांकः–1 / सू0 अ0–12 / 2018 श्र0सं0....3685 **पटना, दिनांक–** 01-6-18

प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहर, पटना को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/01/06/18

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

D:/- Manoj Sir-126